[2020] 14 एस. सी. आर. 332

गुरचरण सिंह और हमारा।

वी.

एंगरेज कौर और ए. एन. आर.

(2009 की सिविल अपील सं. 6835)

19 मार्च, 2020

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

अपीलार्थियों के पक्ष में पंजीकृत वसीयत और एक पारिवारिक समझौता भी किया गया था जिसमें अपीलार्थियों को समान हिस्से में वाद संपत्ति दी गई थी-अपीलार्थियों द्वारा दायर एक मुकदमे में एकमात्र प्रतिवादी ने अपीलार्थियों के दावे को स्वीकार किया कि अपीलार्थियों के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा एक पंजीकृत वसीयत का निष्पादन किया गया था और एक पारिवारिक समझौता भी किया गया था जिसमें वाद संपत्ति अपीलार्थियों को समान हिस्से में दी गई थी-वाद पर आदेश दिया गया था एकमात्र प्रतिवादी के प्रवेश के आधार पर और डिक्री के बाद, अपीलार्थियों के पक्ष में परिवर्तन किया गया था-एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के बाद, उक्त डिक्री को उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर अमान्य और अमान्य के रूप में चुनौती दी गई थी कि यह पंजीकृत नहीं था और इसलिए वैध डिक्री नहीं थी। मुकदमा आधारित था

पूर्व-विद्यमान अधिकार और डिक्री स्पष्ट रूप से एस के तहत "न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश" अभिव्यक्ति द्वारा कवर की गई थी। 17 (2) (vi)-फरमान और आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और पूरी तरह से इसके अंतर्गत आते थे -

एस। 17 (2) (vi), जिसमें एस में आवश्यक पंजीकरण से बहिष्करण शामिल है। 17 (1) – घटनाओं के क्रम ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि अपनी इच्छा से एकमात्र प्रतिवादी उस मामले की परिस्थितियों के कारण प्रतिवादियों को पूरी संपत्ति देना चाहता था, जिसमें उसे रखा गया था-इसलिए, डिक्री को किसी भी धोखाधड़ी या जबरदस्ती से पीड़ित नहीं माना जा सकता है जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 'बी' के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा दायर मुकदमा वाद में वर्णित वाद संपत्ति से संबंधित है और डिक्री पारित की गई थी।

332 गुरचरण सिंह और हमारा। वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर.

न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के संबंध में खंड (बी) और (सी) की प्रयोज्यता, धारा 17 (1) (बी) की प्रयोज्यता को किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से धारा 17 (2) (वी) में आयात नहीं किया जा सकता है। 09.01.1995 दिनांकित फरमान और आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और पूरी तरह से थे धारा 17 (2) (vi) के अंतर्गत आती है, जिसमें धारा 17 (1) में आवश्यक पंजीकरण से अपवर्जन शामिल है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती की कि

डिक्री दिनांक 19.01.1995 आवश्यक पंजीकरण और पंजीकृत नहीं होने के कारण अमान्य है। [पैरा 17]

भूप सिंह बनाम। राम सिंह मेजर और अन्य, (1995) 5 एस. सी. सी. 709 [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 466 आयोजित

अप्रयोज्य।
मोहम्मद यूसुफ और अन्य। वी. राजकुमार और ओआरएस। 2020 की सिविल अपील संख्या 800 ने 05.02.2020 पर निर्णय लिया -

संदर्भित किया गया।

2. ' बी 'ने वसीयत दिनांक 02.09.1986 को निष्पादित किया था, जो एक पंजीकृत वसीयत थी और शिकायत के पैराग्राफ 2 में अनुरोध किया गया था। में।

वाद के पैराग्राफ 3 में यह भी अनुरोध किया गया था कि दिनांक 1 के पारिवारिक समझौते के अनुसार, जिसके द्वारा 'बी' ने वादी को समान हिस्से में आवंटित करने का निर्णय लिया और वाद संपत्ति में अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया, जिसे 'बी' ने अपने बयान में स्वीकार किया था। डिक्री 09.01.1995 पर पारित की गई थी जिसके आधार पर 03.03.1995 पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी। बी 'स्वीकार्य रूप से 24.04.1998 तक जीवित था और अपने जीवनकाल में, उसने कभी भी प्रतिवादियों के पक्ष में डिक्री या उत्परिवर्तन का विरोध नहीं किया। द्वारा स्वीकार किया गया है

निम्नलिखित न्यायालय कि 'बी' और 'जी' तलाकशुदा थे और कौन सा तलाक 15.09.1973 पर लिखित रूप में दर्ज किया गया था जैसा कि पहले साबित किया गया था

अदालतें नीचे '। जी 'के बाद 15.09.1973 बेटियों के साथ' बी 'के भाई के साथ रहने लगा और उसके बाद कभी भी' बी 'में वापस नहीं आया। अदालतों ने पाया है कि 'बी' तलाक के बाद प्रतिवादियों के साथ रहता था, जो उसकी देखभाल कर रहे थे। प्रतिवादियों के पक्ष में 02.09.1986 पर 'बी' द्वारा पंजीकृत वसीयत का निष्पादन और उनकी यह स्वीकारोक्ति कि मुकदमा संख्या 556 में प्रतिवादियों के सभी दावे सही हैं और यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने [2020] 14 एस. सी. आर. को त्याग दिया है।

उत्तरदाताओं के पक्ष में उनके अधिकार स्पष्ट रूप से किसी भी आधार को गलत साबित करते हैं। अदालत में या 'बी' पर धोखाधड़ी का। घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'बी' अपनी इच्छा से उस मामले की परिस्थितियों के कारण प्रतिवादियों को पूरी संपत्ति देना चाहता था, जिसमें 'बी' को रखा गया था। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है कि दिनांकित डिक्री प्राप्त करने में कोई धोखाधड़ी की गई थी

09.01.1995 अभियुक्तों द्वारा। [पैरा 20] [347-ए-सी; डी-एच]

सोम देव और अन्य बनाम। रति राम और एक और, (2006)

10 एससीसी 788: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 778-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 3 पूरक। एससीआर 466

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 14

[2006] 5 पूरक। एससीआर 778

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6835

2009 का

पंजाब उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 09.05.2008 से

और 2004 की नियमित दूसरी अपील संख्या 3472 में चंडीगढ़ में हरियाणा।

पल्लव सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , Ms.Swarupama चतुर्वेदी, सुश्री बबीता

यादव, आशुतोष मोहन, मुकेश कुमार, सुश्री अपर्णा त्रिवेदी, अमन झा, आर. सी. कोहली, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. एन. चोपड़ा, श्रीमती रीता दीवान पुरी,

जेसन चोपड़ा, जे. एस. मराहट्टा, पी. एन. पुरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

यह उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली प्रतिवादी की अपील है।

पंजाब और हरियाणा की अदालत ने अपीलार्थियों की 2004 की नियमित दूसरी अपील संख्या 3472 को खारिज कर दिया। घोषणा के लिए वादी-प्रतिवादियों के मुकदमे को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसे प्रथम अपीलीय अदालत ने मुकदमे का आदेश देते हुए उलट दिया था। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

2. इस अपील को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 . भजन सिंह नामक व्यक्ति गाँव में सूट की ज़मीन का मालिक था।

सिराज माजरा, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब। भजन सिंह का विवाह गुरमैल कौर से हुआ था। दो बेटियाँ (अँग्रेज़ कौर और

परमजीत कौर) का जन्म भजन सिंह से गुरमैल कौर के साथ हुआ था।

गुरचरण सिंह और ओआरएस के बीच। वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

भजन सिंह और गुरमैल कौर का लिखित तलाक 15.09.1973 पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद गुरमैल कौर ने एक मगहर के साथ रहना शुरू कर दिया।

जलोवाल गाँव के भजन सिंह के भाई सिंह। गुरमैल कौर उस समय नाबालिग दोनों बेटियों को भी अपने साथ गाँव जलोवाल ले गई जहाँ वे सभी मगहर सिंह के साथ रहती थीं।

2.2 . भजन सिंह गाँव सिराज माजरा में अपीलार्थी गुरचरण सिंह, वर्णम सिंह और कुलवंत सिंह के साथ रहते थे, जो भजन सिंह की देखभाल करते थे। भजन सिंह ने अपीलकर्ताओं, गुरचरण सिंह, वर्णम सिंह और कुलवंत सिंह के पक्ष में 02.09.1986 दिनांकित एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की। अपीलार्थियों द्वारा भजन सिंह को एकमात्र प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक दीवानी मुकदमा संख्या 556 दिनांकित 21.09.1994 दायर किया गया था, जिसमें इस आशय की घोषणा के लिए प्रार्थना की गई थी कि वादी मुकदमे की भूमि के मालिक हैं और उनके कब्जे में हैं।

2.3 . वाद में, वादी ने दलील दी कि प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया था, जो के अनुसार किया गया था।

प्रतिवादी की स्वतंत्र इच्छा और सहमति और जिसे उप-पंजीयक द्वारा सत्यापित और विधिवत पंजीकृत किया गया था। शिकायत में आगे यह अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी ने 15.06.1994 पर एक पारिवारिक समझौता किया जिसमें वाद संपत्ति वादी को समान हिस्से में दी गई थी। मुकदमे में प्रतिवादी-भजन सिंह द्वारा 03.12.1994 पर एक लिखित बयान दायर किया गया था।

जहाँ उन्होंने वाद के आरोपों को स्वीकार किया और यह भी प्रार्थना की कि वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाए। उसी दिन, यानी 03.12.1994, भजन सिंह ने अदालत में अपना बयान भी दर्ज किया, जहाँ उन्होंने कहा कि वाद में कथन सही हैं और यदि वादी का मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 2.4 . अतिरिक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अमलोह की अदालत ने 09.01.1995 पर मुकदमे का फैसला सुनाया। वादी के दावे के प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने के आधार पर दिनांकित 09.01.1995 के आदेश के बाद 03.03.1995 पर वादी के पक्ष में मुकदमे में भूमि का उत्परिवर्तन भी प्रभावित हुआ था। भजन सिंह की मृत्यु 24.04.1998 पर हुई।

2.5 . भजन सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज कौर और परमजीत कौर दोनों ने 19.05.1998 का दीवानी मुकदमा संख्या 167 दायर किया और इस आशय की घोषणा करने का अनुरोध किया कि 21.09.1994 के दीवानी मुकदमा संख्या 556 में मुकदमा संपत्ति के संबंध में 09.01.1995 पर निर्णय लिया गया डिक्री और निर्णय गलत है, अधिकार क्षेत्र के बिना, अवैध, अमान्य, अप्रभावी और अप्रभावी है क्योंकि उक्त भजन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में वादी के स्वामित्व अधिकार हैं।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.6 . वादी द्वारा दायर मुकदमे में, वर्तमान अपीलार्थी, जो

जब प्रतिवादियों ने शिकायत के आरोपों का खंडन करते हुए एक लिखित बयान दायर किया तो उन्हें फंसाया गया। प्रतिवादियों-अपीलार्थियों द्वारा यह दलील दी गई थी कि भजन सिंह और गुरमैल कौर के तलाक के बाद 15.09.1973 पर, भजन सिंह प्रतिवादियों के साथ रह रहा था, जो भजन सिंह की सेवा कर रहे थे। भजन सिंह ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिवादियों के पक्ष में 02.09.1986 पर एक वसीयत का निष्पादन किया। प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमे-21.09.1994 के मुकदमा संख्या 556 में, भजन सिंह ने प्रतिवादियों के दावे को स्वीकार करते हुए एक बयान दायर किया।

के पक्ष में वसीयत के निष्पादन के संबंध में पुष्टि सहित

अभियुक्त। यह प्रतिवादी हैं, जिनके पास वाद भूमि है, जिनके पक्ष में उत्परिवर्तन भी प्रभावित हुआ है। वादी को भजन सिंह से कोई सरोकार नहीं था, जो गाँव सिराज माजरा में प्रतिवादियों के साथ रह रहा था। भजन सिंह का वोट और राशन कार्ड प्रतिवादियों के पास था, जो अपने पिता की तरह उनकी सेवा कर रहे थे। वादी द्वारा एक प्रतिकृति भी दायर की गई थी जिसमें पारिवारिक निपटान के साथ-साथ 02.09.1986 दिनांकित वसीयत को अस्वीकार कर दिया गया था। निचली अदालत ने अपने फैसले और दिनांक 05.03.2003 के आदेश के माध्यम से वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया।

2.7 . उक्त निर्णय से व्यथित वादी ने जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। वादी द्वारा दायर पहली अपील का फैसला सुनाया गया था।

3. हमने श्री पल्लव सिसोदिया, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, अपीलार्थी की विद्वान वकील को सुना है। श्री. उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता पेश हुए थे।

4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पल्लव सिसोदिया का तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने वादी के मुकदमे का आदेश देने में गलती की है। निचली अदालत ने वादी के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री एक वैध डिक्री थी, जिसके लिए किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। दीवानी मुक़दमा सं. 556 में मुक़दमा संपत्ति के कब्जे में मालिक के रूप में घोषणा के अपीलार्थियों के दावे को भजन सिंह ने स्वीकार किया, जिन्होंने लिखित बयान दायर किया और वादी के दावे को स्वीकार करते हुए अपना बयान दर्ज कराया। 09.01.1995 का फरमान किसी धोखाधड़ी या जबरदस्ती पर आधारित नहीं था। भजन सिंह ने अपनी मर्जी से अपीलार्थियों को मुकदमे की संपत्ति देने का फैसला किया था।

जिसे एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 02.09.1986 गुरचरण सिंह और ओआरएस को निष्पादित करके स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

सिंह ने प्रतिवादियों के पक्ष में एक वैध समझौता किया, भले ही प्रतिवादी चाचा और भतीजे के रूप में रक्त से संबंधित नहीं थे, लेकिन भजन सिंह तलाक के बाद प्रतिवादियों के साथ रह रहे थे। प्रतिवादी भजन सिंह को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते थे और उनकी सेवा करते थे। उपरोक्त तथ्यों में पारिवारिक समझौता वैध पारिवारिक समझौता था। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है, वह अनिवार्य रूप से रक्त संबंधी होना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने 09.01.1995 दिनांकित समझौते के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह अनिवार्य है। पंजीकरण और डिक्री का पंजीकृत नहीं होना वैध डिक्री नहीं थी।

5. श्री ध्रुव मेहता, वादियों के विद्वान वकील-उत्तरदाता

प्रस्तुत करता है कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी और

शिकायत में लगाए गए झूठे आरोप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता, जो उपरोक्त मुकदमे में वादी थे, उन्होंने खुद को भजन सिंह और भजन सिंह के भतीजे के रूप में चाचा के रूप में वर्णित किया, जो संबंध साबित नहीं हुआ था, इसलिए, धोखाधड़ी करके डिक्री प्राप्त की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री अनिवार्य रूप से पंजीकृत थी

धारा 17 के तहत और इसे प्रथम अपीलीय न्यायालय में पंजीकृत नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने डिक्री को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 02.09.1986 दिनांकित वसीयत को तीनों अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत, एक वसीयत के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो प्रमाणित करने वाले गवाहों में से अर्थात् दर्शन सिंह और गुरदेव सिंह, गुरदेव सिंह स्वीकार्य रूप से जीवित थे, जिसे प्रतिवादी ने स्वयं अपने बयान में स्वीकार किया था और बलदेव सिंह को वसीयत साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया था, वसीयत को सही माना गया है कि साबित नहीं किया जाना है, जिसके निष्कर्षों को इस अपील में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। वसीयत को साबित करने के लिए उपस्थित होने वाले लेखक को एक प्रमाणक गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसे वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता है, जिसका संपत्ति के मालिक के साथ कोई संबंध नहीं है। 15.06.1994 का पारिवारिक समझौता कोई पारिवारिक समझौता नहीं था।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनका हम इसके बाद विचार करते हुए उल्लेख करेंगे -

विवरण में प्रस्तुतियाँ।

7. हम निचली अदालत द्वारा बनाए गए मुद्दों और उन पर वापस किए गए निष्कर्षों पर ध्यान दे सकते हैं। पक्षकारों की दलीलों के आधार पर, निचली अदालत ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:

" 1. क्या 21.09.1994 के दीवानी मुकदमा संख्या 556 में पारित विवादित निर्णय और डिक्री का निर्णय 09.01.1995 शीर्षक गुरचरण सिंह आदि पर किया गया था। बनाम। भजन सिंह, एस. दलीप सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अमलोह द्वारा

वाद के विषय में भजन सिंह के नाम पर पहले की संपत्ति अवैध, अमान्य या अन्यथा खराब है जैसा कि वाद में आरोप लगाया गया है, यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीपी

2. क्या वादी मुकदमे की भूमि पर कब्जा करने के हकदार हैं?

ओपीपी

3. चाहे एस. भजन सिंह ने प्रतिवादियों के पक्ष में 09.02.98 दिनांकित एक कानूनी और वैध वसीयत को निष्पादित किया, यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या होगा? ओपीडी

4. क्या मुकदमा वर्तमान में बनाए रखने योग्य और सक्षम नहीं है

रूप? ओपीडी

5. क्या शिकायत 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत खारिज होने के लिए उत्तरदायी है?

ओपीडी

6 . क्या मुकदमा सीमा के भीतर है? ओपीडी
7 . क्या प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर करने से 3 सप्ताह पहले वादी से मुकदमे की जमीन पर कब्जा कर लिया है?

ओ. पी. डी. गुरचरण सिंह और हमारा। वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

8. राहत "

8. मुद्दा संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादियों के पक्ष में किया गया था जिसमें एक वैध डिक्री के रूप में 09.01.1995 दिनांकित डिक्री को रखा गया था। मुद्दा संख्या 2 में निर्णय लिया गया था

प्रतिवादी का पक्ष। विल डेट 02.09.1986 के संबंध में मुद्दा संख्या 3 का फैसला वादी के पक्ष में किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी विल डेट 02.09.1986 को साबित करने में विफल रहा क्योंकि प्रमाणक गवाहों में से एक जीवित था लेकिन प्रतिवादियों द्वारा पेश नहीं किया गया था। निचली अदालत ने मुकदमे को सीमा के भीतर माना। निचली अदालत ने यह निष्कर्ष भी वापस कर दिया है कि पी. डब्ल्यू. 1, वादी के साक्ष्य से यह साबित हो गया है कि वे कभी भी गाँव जलोवाल से अपने पिता से मिलने नहीं गए थे, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि भजन सिंह प्रतिवादियों के साथ रहता था, जो उसकी देखभाल और सेवा करते थे। निचली अदालत ने यह निष्कर्ष भी वापस कर दिया कि धोखाधड़ी, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या जबरन आदेश प्राप्त करने का कोई तत्व नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि पहली बार प्रतिवादियों के पक्ष में अधिकार सृजित किए गए हैं, इसलिए इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री एक वैध दस्तावेज नहीं था और अमान्य था और यह एक अपंजीकृत डिक्री नहीं थी। वसीयत के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा दायर नियमित दूसरी अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई थी। नियमित दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए थेः

चाहे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

" अ)

आई. डी. 1 दिनांकित डिक्री, जो अन्यथा भजन सिंह द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में सहन की गई साबित हुई है, को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गैर-पंजीकरण के आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है, विशेष रूप से जब डिक्री पहले के पारिवारिक समझौते पर आधारित थी?

चाहे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

ख)

वादी/उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमे को कहा जा सकता है

सीमा के भीतर?

चाहे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

(ग)

अपीलार्थियों के पक्ष में पंजीकृत वसीयत को नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता था जब अपीलार्थियों ने वसीयत के उचित निष्पादन और वैधता को साबित करने वाले सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व किया था।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या विद्वान प्रथम अपीलीय द्वारा दी गई व्याख्या

(घ)

परिवार के अर्थ में न्यायालय को कानून में बनाए रखा जा सकता है?

9. कानून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया है

उच्च न्यायालय वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दिनांक 09.01.1995 के डिक्री के गैर-पंजीकरण के संबंध में था। हम पहले दिनांकित 09.01.1995 डिक्री के पंजीकरण के प्रश्न पर पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने डिक्री का पंजीकरण न होने के कारण डिक्री 09.01.1995 को अमान्य करार दिया है। सवाल यह है कि क्या डिक्री दिनांक 09.01.1995 पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत आवश्यक पंजीकरण। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में पंजीकरण का प्रावधान है -

दस्तावेज़, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:

निम्नलिखित दस्तावेज पंजीकृत किए जाएंगे, यदि संपत्ति जिसका वे संबंध रखते हैं वह एक ऐसे जिले में स्थित है जिसमें, और यदि उनके पास है

जिस तारीख को या उसके बाद निष्पादित किया गया था, अधिनियम सं। का XVI

1864 , या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1866, या भारतीय

पंजीकरण अधिनियम, 1871 या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877, या

यह अधिनियम आया या लागू हुआ, अर्थात्:

(क) अचल संपत्ति के उपहार के साधन;

(ख)

अन्य गैर-वसीयती उपकरण जिनका उद्देश्य या

बनाने, घोषित करने, निर्दिष्ट करने, सीमित करने या बुझाने के लिए कार्य करना,

सौ रुपये और उससे अधिक, अचल में या अचल में संपत्ति;

((ग)

गैर-वसीयती उपकरण जो स्वीकार करते हैं के कारण किसी भी प्रतिफल की प्राप्ति या भुगतान

ऐसे किसी अधिकार, शीर्षक या हित का सृजन, घोषणा, समनुदेशन, सीमा या विलुप्त होना; और साल दर साल अचल संपत्ति के पट्टे, या

((घ)

एक वर्ष से अधिक की कोई अवधि, या वार्षिक किराया आरक्षित करना;

(ई)

गैर-वसीयती उपकरण स्थानांतरण या समनुदेशन

किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश या कोई पुरस्कार जब ऐसी डिक्री या आदेश या पुरस्कार, जरचरण सिंह और ओ. आर. एस. बनाने के लिए अभिप्रेत या संचालित होता है।

वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

एक सौ रुपये के मूल्य के किसी भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज को, चाहे वह निहित हो या आकस्मिक, वर्तमान में हो या भविष्य में, घोषित करना, निर्दिष्ट करना, सीमित करना या समाप्त करना और

ऊपर की ओर, अचल संपत्ति में या उसमें:

बशर्ते कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रकाशित कर सकती है

आधिकारिक राजपत्र, इस उप-धारा के संचालन से मुक्त

किसी जिले या जिले के किसी भाग में निष्पादित कोई पट्टा, शर्तें

जिसके द्वारा अनुदान पाँच वर्ष से अधिक नहीं है और वार्षिक किराया जिसके द्वारा आरक्षित राशि पचास रुपये से अधिक नहीं है।

धारा के प्रयोजन के लिए किसी भी अचल संपत्ति पर विचार 53 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) का ए होगा -

पंजीकृत यदि उन्हें उस दिन या उसके बाद निष्पादित किया गया है

पंजीकरण और अन्य संबंधित कानूनों की शुरुआत (संशोधन) अधिनियम, 2001 और यदि ऐसे दस्तावेज पंजीकृत नहीं हैं

ऐसे प्रारंभ पर या उसके बाद, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

उक्त धारा 53 क के प्रयोजनों के लिए। (2) उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी लागू नहीं होता है

कोई रचना विलेख; या

((i) ((ख)

.....

.....

(iii)

((iv)

.....

(v) (vi)

किसी डिक्री या आदेश को छोड़कर किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश

किसी समझौते पर किए जाने के लिए व्यक्त किया गया है और इसमें उस संपत्ति के अलावा अन्य अचल संपत्ति शामिल है जो वाद या कार्यवाही का विषय है] या

.....

.....

10. धारा 17 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) के खंड डी (सी) में कुछ भी आइटम संख्या (i) और (xii) पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या डिक्री 09.01.1995 उप-धारा (2) (vi) के अंतर्गत आता है या नहीं। प्रथम अंतिम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि [2020] 14 एस. सी. आर.

पहली बार बनाए गए अधिकार के पक्ष में दिनांकित 09.01.1995 डिक्री

प्रतिवादी, इसे पंजीकरण की आवश्यकता थी, भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर और अन्य, (1995) 5 में इस टी के निर्णय के अनुपात पर।

709. भूप सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित में निर्धारित कियाः

ग्राफ 16,17 और 18:

" 16. हमें खंड (vi) की पहुंच को देखना होगा, जो एक

उप-धारा (1) का अपवाद, उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। हम.

सोचेंगे कि उत्कीर्ण किया गया अपवाद इस बात को शामिल करने के लिए है कि

न्यायालय की डिक्री या आदेश, जिसमें एक डिक्री या आदेश भी शामिल है

एक समझौते पर किया जाना, जो पूर्व-विद्यमान घोषित करता है

सही है और अपने आप में नया अधिकार, शीर्षक या रुचि नहीं बनाता है

100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में निवेश।

जिसके लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होती है, जो डिक्री में अंतर्निहित है या आदेश दें।

17. अतः यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसकी जाँच करे।

न्यायालय एक पक्ष जिसका अधिकार, अधिकार या हित उसमें सहमत हो या उसी को समाप्त करने के लिए पीड़ित और अधिकार, शीर्षक या ब्याज बनाया

100 रुपये की अचल संपत्ति में या पहली बार दूसरे पक्ष के पक्ष में ऊपर की ओर, या तो

समझौता या सहमति का नाटक करना। यदि बाद वाला पद है, तो

दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत है।

18. कानूनी स्थिति क्यूए खंड (vi), के आधार पर कर सकते हैं

उपरोक्त चर्चा का सारांश नीचे दिया गया हैः

समझौता डिक्री यदि प्रामाणिक है, तो इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने का साधन नहीं है, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। एक विपरीत स्थिति में, यह होगा

पंजीकरण की आवश्यकता है।

(2)

यदि समझौता डिक्री पहले के लिए बनाई जानी थी मुकदमे के किसी भी पक्ष के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज के लिए डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(3)

यदि डिक्री के किसी भी खंड को आकर्षित नहीं करना था

धारा 17 की उप-धारा (1), जैसा कि गुरचरण सिंह और ओआरएस में स्थिति थी।

वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उपरोक्त प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय के मामले, यह है यह स्पष्ट है कि डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(4)

यदि डिक्री की शर्तों को शामिल नहीं करना था समझौता, जैसा कि लाहौर मामले में स्थिति थी, समझौते की शर्तों से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही एक मुकदमे का निपटारा किया जाना था क्योंकि

प्रश्न में समझौता।

यदि डिक्री द्वारा निपटाई गई संपत्ति नहीं है

(5)

" वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु, उप-धारा (2) का खंड (vi) 1929 के अधिनियम 21 द्वारा इस खंड के संशोधन के कारण लागू नहीं होगा, जिसका मूल प्रिवी काउंसिल के उपरोक्त निर्णय में है, जिसके अनुसार मूल खंड आकर्षित किया गया होगा, भले ही वह संपत्ति को शामिल न करता हो। मुकदमेबाजी की।

11. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा है

पैराग्राफ 18 (2) उनके निवेदन का समर्थन करने के लिए कि पहली बार प्रतिवादियों के पक्ष में बनाई जा रही वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अदालत के समक्ष बयान में प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों ने पहली बार दिनांकित डिक्री 09.01.1995 के आधार पर मुकदमे की संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज प्राप्त किया है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें 09.01.1995 दिनांकित डिक्री द्वारा केवल सूट संपत्ति को डिक्री का हिस्सा बनाया गया था। मुकदमा सं. 556 इस अभिवचन के साथ दायर किया गया था कि वसीयत दिनांक 02.09.1986 के साथ-साथ पारिवारिक निपटान दिनांक 15.06.1994, जो विशेष रूप से शिकायत के पैराग्राफ 2 और 3 में अनुरोध किए गए हैं, निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 2. कि प्रतिवादी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से वादी के पक्ष में एक वैध और कानूनी वसीयत दिनांक 02.09.1986 को निष्पादित किया है।

जबकि वह एक स्वस्थ मन में था, जिसे प्रमाणित किया गया था और उप-पंजीयक द्वारा पंजीकृत।

3. कि प्रतिवादी ने इसे उचित मानते हुए एक परिवार को प्रभावित किया है

15.06.1994 पर समझौता जिसमें वाद में संपत्ति वादी को समान शेयरों में आवंटित की गई थी और प्रतिवादी ने उक्त संपत्ति में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को छोड़ दिया है।

उक्त पारिवारिक समझौते में वादी का पक्ष। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. मुकदमे में, भजन सिंह केवल प्रतिवादी थे, जिन्होंने 03.12.1994 पर अपना लिखित बयान दायर किया, जिसके पैराग्राफ 2 और 3 में आरोप हैं। वादी को प्रतिवादी द्वारा पैराग्राफ 2 और 3 में अपने बयान में स्वीकार किया गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 2. अभियोग के पैरा सं. 2 को सही माना जाता है। 3. अभियोग के पैरा सं. 3 को सही माना जाता है।

13. लिखित बयान में, प्रतिवादी भजन सिंह ने प्रार्थना की कि वादी के मुकदमे का फैसला प्रार्थना के अनुसार किया जाए। वाद और लिखित कथन में अभिवचन स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि वाद वादी के पक्ष में पूर्व-विद्यमान अधिकार के आधार पर दायर किया गया था, जो वाद का आधार था। वादी के पूर्व-विद्यमान अधिकार को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया था और उसमें डिक्री पारित की गई थी।

14. इस प्रकार, वादियों-उत्तरदाताओं का यह निवेदन कि मुकदमा वादियों के पूर्व-विद्यमान अधिकार पर आधारित नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो वाद में स्पष्ट अभिवचन द्वारा गलत है। उपरोक्त अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि भूप सिंह (उपरोक्त) के निर्णय की प्रयोज्यता का आधार ही खारिज कर दिया गया है और वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं किया गया है। यह न्यायालय 2020 की सिविल अपील No.800 में हाल ही में एक फैसले में-मोहम्मद यूसुफ और अन्य। बनाम राजकुमार और अन्य। आई. डी. 1 पर निर्णय लेने पर धारा 17 के साथ-साथ भूप सिंह (उपरोक्त) के फैसले पर विचार करने का अवसर मिला। धारा 17 का विस्तार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 6. न्यायालय द्वारा पारित समझौता डिक्री आम तौर पर धारा 17 (1) (बी) के अंतर्गत आती है, लेकिन धारा 17 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आती है।

न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के लिए अपवाद का प्रावधान करता है।

किसी समझौते पर की जाने वाली डिक्री या आदेश को छोड़कर और जिसमें उस संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति शामिल है जो वाद या कार्यवाही का विषय है। इस प्रकार, धारा 17 की उप-धारा (2) (vi) के आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उप-धारा (2) के उप-खंड (vi) में, एक श्रेणी को उप-खंड (vi), अर्थात डिक्री या आदेश से अलग किया गया है।

जिसे किसी समझौते पर व्यक्त किया जाता है और जिसमें उस संपत्ति के अलावा अन्य अचल संपत्ति शामिल होती है जो वाद या कार्यवाही का विषय है। इस प्रकार, धारा 17 (1) (बी) और धारा 17 (2) (vi) को संयुक्त रूप से पढ़कर, यह स्पष्ट है कि एक समझौता डिक्री जिसमें अचल संपत्ति शामिल है, जिसके अलावा अन्य विषय वस्तु है -

मुकदमा या कार्यवाही के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है, हालांकि कोई डिक्री या उरचरण सिंह और ओआरएस।

वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

न्यायालय के आदेश को धारा के आधार पर पंजीकरण से छूट दी गई है।

17 (2) (vi)। 1984 के सूट No.250-A में पारित डिक्री की एक प्रति

अनुलग्नक पी-2 के रूप में दर्ज किया गया है, जो इंगित करता है

वह डिक्री दिनांकित 04.10.1985 के लिए न्यायालय द्वारा पारित किया गया था

संपत्ति, जो मुकदमे का विषय था। इस प्रकार,

धारा 17 (2) (vi) में अपवर्जन खंड लागू नहीं है और

धारा 17 (2) के सादे 8 रीडिंग पर पंजीकृत (vi)।

99

15. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने आगे पहले के फैसले पर भरोसा किया

सोम देव और अन्य बनाम रति राम और अन्य, 5) पैराग्राफ 13 में 10 एस. सी. सी. 788 में न्यायालय है और निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

" 13. यह न्यायालय सोम देव और अन्य बनाम रति राम और एक अन्य, (2006) धारा 17 (2) (vi) की व्याख्या करते हुए 10 एस. सी. सी. 788

और धारा 17 (1) (बी) और (सी) ने अभिनिर्धारित किया कि समझौता डिक्री सहित न्यायालय की सभी डिक्री और आदेश इस प्रकार के अपवाद के अधीन हैं:

निर्दिष्ट किया कि वे गुण जो विषय वस्तु से बाहर हैं

मुक़दमे के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ 18 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया

नीचे:

" 18 .....

..... लेकिन सम्मान के साथ, यह इंगित किया जाना चाहिए कि

न्यायालय के किसी आदेश या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है यदि वह इस आधार पर समझौते पर आधारित नहीं है कि खंड (बी) और

(ग) पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 आकर्षित करती है। यहाँ तक कि एक

किसी समझौते पर डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है यदि ऐसा होता है

ऐसी संपत्ति में नहीं लेना जो विषय नहीं है - सूट।

16. उपरोक्त मामले में, पूर्व डिक्री, जिसकी मांग की गई थी

इस आधार पर कि यह केवल मुकदमे से संबंधित पंजीकृत नहीं था

एर्टी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

पैराग्राफ 14 में कारण दिए गए थेः

" 14. वर्तमान मामले के तथ्यों में, डिक्री दिनांकित 04.10.1985

संपत्ति के संबंध में था, जो मुकदमे का विषय था, इसलिए धारा 17 (2) (vi) के अपवर्जक खंड के अंतर्गत नहीं आता है।

और वर्तमान मामले में तैयार किए गए मुख्य अपवाद द्वारा कवर किया गया है

धारा 17 (2) (vi), अर्थात "न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश"। कब

धारा 17 (1) (बी) द्वारा आवश्यक किसी साधन का पंजीकरण है

धारा 17 (2) (vi) द्वारा विशेष रूप से यह प्रावधान करके बाहर रखा गया है कि [2020] 14 एस. सी. आर.

उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) में कुछ भी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होता है, हमारा विचार है कि -

दिनांकित समझौता डिक्री 04.10.1985 में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और विद्वान सिविल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अन्यथा ठहराने में गलती की। हम, इस प्रकार, सिविल न्यायाधीश के दिनांकित 07.01.2015 के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय को भी रद्द कर देते हैं।

13.02.2017 . समझौता डिक्री दिनांकित 04.10.1985 निर्देशित है

विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किया जाना। अपील की अनुमति है तदनुसार "।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि भजन के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 21.09.1994 का मुकदमा संख्या 556

09.01.1995 इस प्रकार, स्पष्ट रूप से "किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया था। जब विधायिका ने किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के संबंध में खंड (बी) और (सी) की प्रयोज्यता को विशेष रूप से बाहर कर दिया है, तो धारा 17 (1) (बी) की प्रयोज्यता को किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से धारा 17 (2) (वी) में आयात नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री और आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और पूरी तरह से धारा 17 (2) (vi) द्वारा कवर किया गया है, जिसमें धारा 17 (1) में आवश्यक पंजीकरण से बहिष्करण शामिल है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि 19.01.1995 दिनांकित डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है और पंजीकृत नहीं होने के कारण यह अमान्य है।

18. ट्रायल कोर्ट का विचार है कि 19.01.1995 दिनांकित डिक्री बाध्यकारी है

भजन सिंह पर, वादी, जो भजन सिंह की बेटियाँ हैं, आदेश से बच नहीं सकते। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी, पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

19. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति है

कि चूंकि प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे में, उन्होंने प्रतिवादी को वादी के चाचा के रूप में वर्णित किया, जो प्रतिवादी की देखभाल कर रहे थे और उसकी सेवा कर रहे थे, जो बयान साबित नहीं हुआ है, यह प्रतिवादी और अदालत के साथ धोखाधड़ी थी।

20. हमें तथ्यों और घटनाओं के क्रम पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है

यह जाँचने के लिए कि क्या न्यायालय या भजन सिंह द्वारा दिनांकित डिक्री प्राप्त करने में कोई धोखाधड़ी की गई थी।

भजन सिंह गुरचरण सिंह और हमारा। वी. एंगरेज कौर और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

02.09.1986 दिनांकित एक पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया था, जो एक पंजीकृत वसीयत थी और शिकायत के पैराग्राफ 2 में अनुरोध किया गया था। शिकायत के पैराग्राफ 3 में यह भी अनुरोध किया गया था कि एक पारिवारिक समझौते दिनांक 15.06.1994 के अनुसार जिसके द्वारा भजन सिंह ने वादी को आवंटित करने का निर्णय लिया।

बराबर

यह स्वीकार करते हुए कि मुकदमा संख्या 556 में प्रतिवादियों के सभी दावे सही हैं और यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने वादी के पक्ष में अपने अधिकारों को त्याग दिया है, गुरचरण सिंह, वर्णम सिंह और कुलवंत सिंह अदालत या भजन सिंह पर धोखाधड़ी के किसी भी आधार को स्पष्ट रूप से गलत साबित करते हैं। भजन सिंह और गुरमैल कौर के बीच तलाक 15.09.1973 पर हुआ और उसके बाद 25 साल तक भजन सिंह उनसे दूर रहे। भजन सिंह की देखभाल उनकी पत्नी और बेटियां और प्रतिवादी ही कर रहे थे। प्रतिवादी भजन सिंह के खिलाफ दायर मुकदमे में वादी/अपीलकर्ताओं के दावे को स्वीकार करने को भजन सिंह या अदालत में की गई कोई धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता है। घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भजन सिंह अपनी इच्छा से उस मामले की परिस्थितियों के कारण प्रतिवादी को पूरी संपत्ति देना चाहते थे, जिसमें भजन सिंह को रखा गया था। यही कारण है कि भजन सिंह ने अपनी वसीयत दिनांक 1 में कहा है कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं। इस प्रकार, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं पाते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा दिनांकित 09.01.1995 डिक्री प्राप्त करने में कोई धोखाधड़ी की गई थी। दिनांकित 09.01.1995 डिक्री [2020] 14 एस. सी. आर. नहीं हो सकती।

किसी धोखाधड़ी या जबरदस्ती से पीड़ित होने के लिए अभिनिर्धारित किया जाए जैसा कि द्वारा तर्क दिया गया है

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील।

21. हमने यह अभिनिर्धारित किया कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री एक वैध डिक्री थी, यह घोषणा करने के लिए मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के फैसले कि 09.01.1995 दिनांकित डिक्री अमान्य थी, को बरकरार रखा जाना चाहिए। हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, हम दिनांकित 02.09.1986 पंजीकृत वसीयत की वैधता के संबंध में पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक नहीं पाते हैं।

22. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निर्णय को दरकिनार कर देते हैं

उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय और डिक्री को बहाल करना

अदालती सुनवाई। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। देविका गुजराल

अ

पील की अनुमति दी गई